

Sharma and Shri John F. Fernandes. मालती शर्मा जी नहीं है। जान फर्नांडिस जी जल्दी से कर दीजिए। We have already delayed by half an hour.

Sexual Exploitation of Minor Children by Foreign Tourists

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): Madam, this is also a very serious matter, just like what Mr. Malkani has raised. Of late, India has been depicted as an international tourism destination. We welcome foreign tourists as our honoured guests because they come to our country to see our high traditions, ancient culture and rich heritage. But, of late, the focus from South-East Asia has been shifted to South Asia and India, and India is being sold abroad by the tourism industry and hotel industry, both here and abroad, as a sex-tourism destination. And our laws are so weak that the Government is totally apathetic towards it. It is high time that the Government of India rose to the occasion and did something about it.

Madam, the coastal States of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Pondicherry are facing this problem. We see that in the western countries, having sexual contact with a person below 18 years of age is considered as mandatory rape. But in our newspapers we read, and there are reports from the United Nations, that we have the highest percentage of child prostitution in the world. Poor children are smuggled across the border from Nepal and Bangladesh. It is a matter of great shame for our country. We say that we have high traditions, high values of heritage and culture and morals, but the Government is very silent about it.

There is a campaign, off and on, in the magazines and newspapers, aided and abetted by our own tourism and hotel industries, and chartered flights with tourists are brought into the country. And our Ministers go abroad. Recently, our Chief Minister and Deputy Chief Minister went abroad with a 14-member

delegation. They are doing nothing for the country and for the law of the country. They are selling our country for a song. Dollars are most welcome, but what is the Government doing?

Madam, at the beginning of this century there was dumping of opium by certain countries in other countries to degenerate those countries. Something similar is happening now. They are importing AIDS from developed foreign countries—I am talking of AIDS, not foreign aid—and this country is being destroyed totally by these vices.

We see in the papers that even minors and infants are not spared. Recently France has amended its law and said that any sexual contact with an infant or minor would attract death penalty. Therefore, I request the Government to see that our laws are amended. And we should amend our laws with a view to see that the offenders, the foreigners, who go back to their own countries could be extradited and brought to this country and punished. Madam, I request the Central Government to come forth with a suitable legislation in this regard.

Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 p.m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) in the Chair.

**THE MAHATMA GANDHI
ANTARRASHTRIYA HINDI
VISHWAVIDYALAYA BILL, 1995**

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We will take up the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Bill, 1995.

Mr. Minister.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S. R. BOMMALI): Madam, I beg to move:

That the Bill to establish and incorporate a teaching University for the promotion and development of Hindi language and literature, through teaching and research, with a view to enabling Hindi to achieve greater functional efficiency and recognition as a major international language and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

Madam, this is a Bill to give a higher stature to Hindi to make it possibly an international language just as English.

श्री गणेश सिंह (बिहार): मैडम, मंत्री जी कम-से-कम बिल तो हिंदी में पेश करें।

श्री एच० हनुमन्तप्पा (कर्णाटक): मैडम, हिंदी के बिल पर हिंदी में बोलना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Do you want the Minister to speak in Hindi?

श्री बी० नारायणसायी (पंढिचेरी): मैडम, उन के साथ श्री टी० आर० बालू मंत्री हैं। वह हिंदी का अपोज कर रहे हैं और मंत्रीमण्डल में हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T. R. BALLU): Madam, on a point of clarification. We are not against Hindi.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Narayanasamy is saying that the Minister is going to promote Hindi through this University and he should pilot this Bill in Hindi. ...*(Interruptions)*... Please listen Mr. Narayanasamy also said that the Minister should say something in Hindi. I was about to say that charity begins at home. But the Minister himself started piloting the Bill in English. Now, what is your point of order?

SHRI T. R. BAALU: Madam, the DMK party is not against Hindi but it is against Hindi imperialism.

श्री बी० नारायणसायी: वे तमिलनाडु में लोगों का हिंदी पढ़ना बंद कर रहे हैं और उन का बेटा-बेटी हिंदी पढ़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापरडे): उन का बेटा-बेटी हिंदी पढ़ रहा है नहीं, उन के बेटा-बेटी हिंदी पढ़ रहे हैं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): मैडम, बोम्बई जो बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं और वह मेरे साथ हिंदी में बात भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि वह जितनी हिंदी जानते हैं, उतनी हिंदी बोलें।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापरडे): मंत्री जी, शास्त्री जी का एक सुझाव आया है और मुझे भी लगता है कि यह एक बहुत अच्छा और योग्य विचार रखा है कि जब मंत्री जी स्वयं इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हिंदी प्रमोट करने जा रहे हैं और आप मंत्री जी के रूप में नहीं, लेकिन मित्र के रूप में शास्त्री जी के साथ अक्सर हिंदी में वार्तालाप करते हैं तो आप अगर हिंदी में कुछ बोलें तो उचित रहेगा।

श्री सोमप्पा आर० बोम्बई: मैडम, यह बिल इस लिए लाया गया है ताकि हिंदी को अन्तर्राष्ट्रीय स्थान मिले और हिंदी में और ज्यादा रिसर्च व भाषान्तर हो। मैडम, हिंदी का एक विश्वविद्यालय हम गांधी जी के नाम से वर्धा में स्थापित करने वाले हैं। इस का कारण यह है कि गांधी जी ने सब को हिंदी सिखाने के लिए और इसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत कोशिश की। मैडम, हमारे समय में कर्नाटक में हम स्कूल में हिन्दी पढ़ते थे और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का तमिलनाडु में हैडक्वार्टर था। मुझे मालूम नहीं कुछ हुआ और आजादी के बाद हिंदी विरोध इसलिए आया जैसा कि अभी मेरे कलीग ने बताया कि कुछ दोस्तों ने हिंदी इम्पोज करने की कोशिश की। इसलिए उस का रिएक्शन तो हुआ। अब इस विश्वविद्यालय की स्थापना से हिंदी का मान बढ़ेगा और उसे बहुत उन्नत स्थान मिलेगा। हिंदी में ऐसे पंडित आएंगे, विदेश से लोग आएंगे और यह रोजीटेंसियल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। यहां विदेश से लोग आएंगे और हिंदी में ज्यादा प्रवीण लोग मिलेंगे। इस की व्यवस्था सरकार कर रही है।

मैडम, यह मामला बहुत दिनों से चल रहा था। इस बारे में डिमांड थी और 75वें इंडरनेशनल वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था। उस दिन से यह मांग

है। इसलिए सरकार इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत आतुर है और जल्दी ही यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आएगा।

With these few words, I commend the Bill for approval.

The question was proposed.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बहुत बहुत मुबारकवाद, आपने बहुत अच्छा बिल हिंदी में पेश किया।

श्री एच० हनुमन्तप्पा: हिंदी विश्वविद्यालय की सारी चर्चा भी अगर हिंदी में हो तो बहुत अच्छा होगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर हमारे सारे माननीय सदस्य हिंदी में ही बोलना चाहें और हिंदी में ही चर्चा करना चाहें तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ... (व्यवधान)

श्री एच० हनुमन्तप्पा: जब हम हिंदी को यह सम्मान देना चाहते हैं, हिंदी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी चर्चा भी इस पर हिंदी में होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बिल्कुल होना चाहिए।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Let charity begin at home.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बिल्कुल ठीक है।

मैं सामने इस बिल पर बोलने के लिए जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, उनको मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने विचारों को यहां तक हो सके, यहां तक बन सके, हिंदी में सदन के सामने रखें।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक हमारे सामने रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन समर्थन के साथ-साथ कुछ शंकाएं भी मन में उठती हैं और मैं कुछ परामर्श भी देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी उन शंकाओं का निराकरण करेंगे और अगर मेरे परामर्शों को वह इस योग्य समझेंगे कि उन्हें अन्तर्गुप्त किया जाए तो उसमें अन्तर्गुप्त करने की बदलात भी दिलावेंगे।

माननीय, पहली बात तो यह है कि भारत सरकार के लंबे आचार्य के कारण मन में एक शंका उत्पन्न होती है

कि कहने के लिए जो बात कही जाती है वह अक्सर की नहीं जाती। कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर और खासकर हिंदी के संबंध में, जिससे कि बहुत पीड़ा होती है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण, वर्ष 1975 ईसवी में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया, तो जो संकल्प 1975 में लिया गया उसके लिए यह विधेयक, 1996 के अंत में आया यानी एक संकल्प को विधेयक के रूप में क्रियान्वित करने के प्रयास में अगर 21 साल लगे हैं तो राजधानी इसकी वास्तविक स्थापना और उसके क्रियान्वयन में कितना लंबा समय लगेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वह तत्काल समयबद्ध दृष्टि से, समयबद्ध योजना के अनुसार इसको क्रियान्वित करेंगे।

माननीय, दूसरी बात यह कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य में यह बात कही गई है कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में महत्व प्राप्त हो। यह इसका उद्देश्य है। माननीय सैकिया जी बैठे हैं, उनके पहले माननीय सैलजा जी थीं, उन्होंने जो उत्तर दिया, उसमें साफ लिखा है कि इस विधेयक का उद्देश्य है — “.....to achieve greater functional efficiency and recognition as a major international language...”

कि भारत की इस राजभाषा हिंदी को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो और तमाम कामकाज हिंदी में हो सके, इसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह उद्देश्य जितना शुभ है, क्या व्यवहार उसको पुष्ट करता है? क्या भारत सरकार के प्रधान मंत्रियों ने, विदेश मंत्रियों ने कोई प्रमाण दिया है इस दिशा में? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बोले, उनके बाद माननीय चन्द्रशेखर जी बोले। केवल दो ही बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोली गई। कोई दूसरा प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री हिंदी में नहीं बोला। मैं गंभीर रूप से शंका प्रकट करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भाषा की स्वीकृति का क्या यही रूप है?

इससे नीचे उतरकर आए तो सारी दुनिया के जितने देश हैं, उनके राजदूतावासों में उनकी भाषा में काम होता है या जिस देश में राजदूतावास स्थापित होते हैं, उस देश की भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश के राजदूतावासों का क्या हाल है? सौभाग्य से कबे या दुर्भाग्य से कबे, पिछले वर्ष मुझे कुछ राजदूतावासों को देखने का मौका मिला। माननीय, मैं आपसे सवाल करता

हैं कि वहां बड़ी हृदय-विदारक स्थिति है। मेरे मित्र यहां मौजूद नहीं हैं, हम लोग जब अमरीका गए तो वहां के तत्कालीन राजदूत ने हमसे कहा कि हम हिंदी में क्यों काम करें? भारत की तो 21 राजभाषाएं हैं। वे बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की कि ऐसा नहीं है, वहां की प्रधान राजभाषा हिंदी है, सम्बद्ध राजभाषा अंग्रेजी है, अन्य भारतीय राजभाषाएं सम्मानित हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात नहीं है। उन्होंने संविधान मंगाया, संविधान उलट-पुलटकर देखा और तब स्वीकार किया कि हिंदी हमारी राजभाषा है। उस समय हमारे साथ श्री पी० एम० सईद साहब और ईश दत्त यादव भी थे। वे यहां होते तो इसकी पुष्टि करते।

महोदया, जब राजदूतों की यह स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि राजदूतावासों का क्या हाल होगा। राजदूतावासों में कहीं भी हिंदी का टाइपराइटर नहीं है, हिंदी का कंप्यूटर नहीं है, कहीं हिंदी में कामकाज नहीं होता, हिंदी में पत्राचार नहीं होता। वहां हिंदी बोली नहीं जाती। तब कैसे यह विश्वास कर लिया जाए कि भारत सरकार सचमुच में हिंदी को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है?

महोदया, इस बिल के उद्देश्यों में यह भी उद्घृत किया गया है कि विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। यह गौरव की बात है लेकिन उन 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने वालों की मानसिकता क्या है, क्या इसकी ओर कभी भारत सरकार ने ध्यान दिया है? क्या भारत सरकार के उच्च अधिकारी इसको जानते हैं? मेरा सौभाग्य है कि मैं कई विश्वविद्यालयों में गया हूँ। जर्मनी के सबसे पुराने विश्वविद्यालय, हैडलबर्ग विश्वविद्यालय में मैं गया हूँ। वहां हिंदी विभाग की अध्यक्ष डा० मोनिका ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री पी० एम० सईद से पूछा कि आप मुझे बताइए क्या मैं अपने 70 जर्मन विद्यार्थियों का भविष्य नष्ट करने के लिए उन्हें हिंदी पढ़ा रही हूँ? सईद साहब चुप रह गए, कोई उत्तर देते नहीं बना। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों

कहती है तो उन्होंने बताया कि जर्मनी में जितने भारतीय उपक्रम हैं—चाहे राजदूतावास हो, चाहे वाणिज्यिक संस्थान हों, चाहे बैंक हों या दूसरे व्यापारिक संस्थान हों, कहीं भी लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं, कहीं कोई काम हिंदी में नहीं होता है। यही नहीं, डा० मोनिका ने यह भी कहा कि जब मैं दिल्ली गई तो मैं हिंदी में बोलती थी लेकिन दिल्ली में उच्च अधिकारी मुझ से अंग्रेजी में बात करते थे। तो यह स्थिति है हिंदी की कि विदेशी व्यक्ति तो हिंदी में बोल रहा है लेकिन भारतीय

व्यक्ति अंग्रेजी में जवाब दे रहा है। इसलिए डा० मोनिका ने बड़ा तर्कसंगत सवाल पूछा कि मैं अपने 70 विद्यार्थियों का भविष्य क्यों नष्ट करूँ? हम लोग इसका कोई सार्थक उत्तर नहीं दे सके और केवल लीपापोती करके चले आए।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग मास्को गए थे और वहां के राजदूतावास में हमारे सम्मान में एक भोज दिया गया। वहां हिन्दी की एक अध्यापिका डा० ल्युडमिला पधारी। उन्होंने पूछा कि शास्त्री जी, बताइए मैं कैसी हिन्दी बोलूँ? मैंने पूछा कि कैसी हिन्दी बोलने का क्या मतलब? वह बोली शास्त्री जी, मैं जब आपके राजदूतावास में जाकर बोलती हूँ—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो लोग मुझ पर हंसते हैं। वह कहते हैं कि शैड्यूल्ड कॉस्ट बोलो, शैड्यूल्ड ट्राइब्स बोलो। यानि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शब्द हमारे राजदूतावासों के अधिकारियों को समझ में नहीं आता। उन्होंने बहुत ही पीड़ा के साथ एक और बात कही, मैं यह सदन में रखना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि पहले जब देश से विद्वान आते थे उनसे बात करके मुझे आनन्द मिलता था हिन्दी में। अब जो आपके देश से आते हैं सब नव-धनाढ्य आते हैं, वह यहां व्यापार करने के लिए आते हैं। रूस के लोगों को अंग्रेजी उतनी नहीं आती। तो उन्हें दुभाषिया मेरे विभाग से जाता है। मेरे विभाग का विद्यार्थी जब उनसे हिन्दी में बात करता है तो कहते हैं कि तुम किस भाषा में बोलो। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए यानी कर्ता, कारक, विभक्ति और सर्वनाम, क्रिया यह तो हिन्दी के और सारे शब्द अंग्रेजी के, तब उनको समझ में आता है। उन्होंने कहा कि यह भी हिन्दी के। डा० ल्युडमिला ने मुझसे पूछा कि 50 साल की आजादी का मतलब है कि भारतीय भाषा अंग्रेजी की गुलामी करती रहें और तब मुझको लगता है कि डा० ल्युडमिला जो कह रही है कितना सच है। मैं आपसे सच कहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे देश में शिक्षा के द्वारा न केवल हिन्दी बल्कि प्रत्येक भारतीय भाषा की जड़ में मट्ठा डाला जा रहा है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि नव धनाढ्य हिन्दी बच्चे 56 नहीं जानते फिफ्टी सिक्स जानते हैं, शुक्रवार नहीं जानते फ्राइडे जानते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि कन्नड़ बच्चे भी नहीं जानते, तमिल बच्चे भी नहीं जानते, गुजराती बच्चे भी नहीं जानते, मराठी बच्चे भी नहीं जानते। जिन-जिन प्रदेशों में केवल प्रतिष्ठा बिन्दु के रूप में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा शुरू की गई—दूध पीते बच्चे, उनको हिन्दी की गिनती नहीं आती, उनको निश्चय ही क्रन्ड की गिनती भी नहीं

आती होगी। मैं जानता हूँ कि बंगला के शब्द भी नहीं आते। मैं बंगाली मित्रों से चुनौती देकर कहता हूँ कि शुभ, खिन्न, नाथ, टैगोर का नाम लेते हो, तुम्हारी नई पीढ़ी क्या कर रही है। बंगाली बच्चे केवल जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं वे 56 नहीं जानते, 36 नहीं जानते। 36 जाने न, 56 जाने न, थर्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स बोलते हैं। यह जो स्थिति है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। भारत की भाषा भारत में उपेक्षित है। हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ सब भाषाओं पर अंग्रेजी का एक छत्र राज है। इस अंग्रेजी के एक छत्र राज को चुनौती देने की मानसिकता अगर हमारे देश में पैदा नहीं हुई तो हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती। इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माननीय शिक्षा मंत्री जी आपके कंधों पर है। आपके विभाग में उन तमाम शिक्षा संस्थानों को सचेत किया जाना चाहिए जो कि बच्चों को माँ के दूध के साथ विदेशी भाषा सिखाने में गौरव का अनुभव करते हैं, जिन संस्थानों में टाई पहने बिना कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा सकता, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, तो किस भारतीय संस्कृति की बात हम करते हैं, किन भारतीय भाषाओं की बात हम करते हैं। इसमें हिन्दी का सवाल नहीं है, तमाम भारतीय भाषाएँ खतरे में हैं और जितना भी आपसे कहते हैं कि भूमण्डलीकरण के नाम पर जितनी मात्रा में बड़ी विदेशी कम्पनियाँ आएंगी उन विदेशी कम्पनियों में भारी वेतन के लोग आएंगे उतनी मात्रा में। हमारे मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के लोगों को अपनी भाषाओं का ज्ञान शून्य हो जाएगा।

उपाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): शास्त्री जी, मैं सिर्फ समय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं इस विषय के ऊपर लौटकर आता हूँ।

उपाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): आपकी पार्टी के लिए सिर्फ 11 मिनट का समय दिया हुआ है और शुरू से ही थोड़ा आज मुझे स्टिक्ट रहना होगा टाईम के बारे में, नहीं, तो हमारा कोई बिजनेस समाप्त नहीं होगा।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं दो मिनट में समाप्त करता हूँ। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि केवल विधेयक उपस्थित करके नहीं, कोई सक्रिय कदम उठाया जाए। मुझे तो भय है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का सारा काम अंग्रेजी में होगा। अभी मेरे मित्र हनुमन्तप्पा जी ने कहा कि यहाँ हम सब हिन्दी में बात करें, आपने इसमें कोई ऐसा उपबंध नहीं जोड़ा है कि विश्वविद्यालय का सारा काम हिन्दी में होगा। मैं आपको चुनौती देकर

कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का सारा काम अंग्रेजी में होगा जैसा कि और तमाम विश्वविद्यालयों के काम अंग्रेजी में होते हैं। आप कम से कम यह उपबंध तो जोड़ें कि इस विश्वविद्यालय का सारा काम हिन्दी में होगा। मैं आपसे दूसरी बात... (व्यवधान)

श्री एच० हनुमन्तप्पा: उस आश्वासन के बाद ही हम पास करेंगे।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को हम एक सामान्य विश्वविद्यालय का कोई दूसरा ढाँचा न बना लें। एक बड़े उद्देश्य को लेकर, एक बड़े कार्य को सामने रखकर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस संबंध में दो-तीन बातें और जोड़ी जानी चाहिए। पहली बात इसमें जो प्रकाशपूर्ण प्रभावशीलता की बात कही गई है वह प्रकाशपूर्ण प्रभावशीलता प्रशासन में हिन्दी में कैसे आये इस पर बल दिया जाना चाहिए। यह इसमें जोड़ा नहीं गया है इसको इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

इसमें अनुवाद की बात कही गई है, तुलना की बात कही गई है, संस्कृति की बात कही गई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन भारत सरकार के प्रशासन में हिन्दी कैसे आये, प्रशासकों को हिन्दी में काम करने की शिक्षा कैसे दी जाये इसकी एक विद्या इसमें आनी चाहिए। मैं एक दूसरी विद्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भिन्न-भिन्न विषयों में, जो अन्य विषय हैं हिन्दी के अतिरिक्त, उनके पाठ्य ग्रन्थ कैसे बने इसकी भी कोई चिन्ता या इसकी भी कोई चर्चा इस विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। इसका कोई ध्यान इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है।

मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अपने देश में और विदेशों में भी हिन्दी की सेवा में बड़ी संस्थाएँ, प्रमाणिक संस्थाएँ काम कर रही हैं। जिस बड़ी संस्था का नाम आपने लिया दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का, उसके लिए मेरा मन्त्रित्व श्रद्धा से झुकता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा और दूसरी बहुत सी संस्थाएँ हैं, उन सब की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किए बिना देश की और विदेश की हिन्दी सेवा संस्थाओं का एक सामान्य मंच यह विश्वविद्यालय बन सके, उनको जोड़ सके, उनके साथ वैचारिक आदान-प्रदान कर सके, इसका भी एक काम इसमें किया जाना चाहिए। समय

कम था। आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं एक आश्वासन मंत्री जी आपसे अवश्य चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या समयबद्ध योजना है? इसको जब हम पारित करेंगे तो इसके बाद कितने दिनों में आप कर लेंगे, कितने दिनों में उसके कुलपति और उप कुलपति की नियुक्ति करेंगे और कब से काम शुरू होगा?

मैं पूरी श्रद्धा के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि मेरे सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। नमस्कार।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): शास्त्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे लेकिन समय की कमी होने की वजह से मुझे आपको कहना पड़ा। अदरबाइज मैं जरूर आपको ज्यादा समय देती।

डा० एम० अरम (नाम निर्देशित): महोदया, मैं हिन्दी में बोलना चाहता हूँ लेकिन थोड़ी मुश्किल है। May I have your permission to speak in English?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): नहीं, आप हिन्दी में ही बोलिए, आपने शुरूआत बहुत अच्छी की है।

डा० एम० अरम (नाम निर्देशित): देखिए कमीसेंसिव आसान है लेकिन एक्सप्रेसन थोड़ा मुश्किल है। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): डा० अरम पहले आप हिन्दी में थोड़ा बोलिए और बाद में अंग्रेजी में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।

DR. M. ARAM: Madam, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Bill. I warmly support this Bill. Yesterday, this hon. House passed the Maulana Azad National Urdu University Bill. These two universities together will be the most significant addition to the Indian University system which is one of the largest networks of higher education institutions in the world with a total of 224 universities including Central universities, State universities and deemed universities. The Mahatma

Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya will be the fulfilment of a dream and an idea which was born 21 years ago at the first Vishwa Hindi Sammelan held in Nagpur in 1975. This proposal was reiterated in the second Vishwa Hindi Sammelan held in 1976 in Mauritius.

3.00 P.M.

The third Vishwa Hindu Sammelan held in Delhi in 1983, further requested the Government of India to establish an international Hindi university. The then Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, accepted the idea in principle and asked the Education Ministry to examine the matter. At that time, according to the classical concept of universities, the UGC felt that it should be a multi-disciplinary setup and a single discipline in a university may not be desirable. However, on further examination, later on in 1992, the UGC took a positive view, thus a Hindi university was recommended by the UGC. Why this change of attitude? The hon. Minister has already explained the significance of the need for this kind of a university. Hindi is our national and official language under Article 343 of the Constitution. For Hindi to have an international status, the emergence of such international Hindi university is certainly a valid reason. To further concretise this proposal, in the year 1993, an expert committee, with Dr. Shiv Mangal Singh Suman as Chairman, was constituted and it prepared a detailed scheme and presented it to the Education Ministry. Subsequently, the present Bill was prepared based upon that report. Madam Chairperson, the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development has gone into this Bill in depth, in great detail, and has submitted a comprehensive report to Parliament. It is not necessary for me to repeat the points made in the report. But may I highlight one or two salient points made by the Standing Committee? As regards the question whether the existing Hindi institutions in the country could not serve

the intended purpose, the answer is a clear no. A new university is necessary because it will have a new international thrust and it will also play a national coordinating role. For a considerable number of Hindi-speaking people scattered all round the globe, in far-flung countries like Fiji, Surinam, Mauritius, Trinidad, Guyana and others, a new university will be a focal point for fruitful exchange of scholars and teachers and fulfilment of a long-standing academic need and aspiration. Further the academic content of the university, the hon. Minister has pointed out, will have four dimensions. This university will have separate but inter-related institutes—four institutes: institute of language, institute of literature, institute of culture and institute of translation and interpretation. Further, this university will bear the hallowed name of the Father of the Nation who was a great protagonist of Hindi. The location in Wardha, further adds to the significance of the university. Madam Chairperson, the current year's Budget of the Education Department contains only a token provision of Rs. 1.55 crores. But this will have to be enhanced. I do hope, in the revised Budget, there will be a substantial increase.

At least, Rs. 10 crores should be provided to this university so that it can make a good start. During the 9th Plan, adequate provision should be made for the university. I understand, Rs. 30 crores will be provided. Whatever is needed should be provided. The UGC always complains that new universities are established, but adequate financial resources are not provided to the UGC.

Therefore, it is important for every new university that additional resources are made available from the UGC. Madam Chairperson, this Bill when enacted will lead to the emergence of a unique university bearing the name of the Father of the Nation, and it is most appropriate that this should happen in the fiftieth year of freedom. On August

15th, 1947, that great day of the historic divide, Pandit Jawaharlal Nehru described that event, that occasion, saying that the soul of the nation long suppressed found its utterance. Madam, through this University as well as the Maulana Azad University the soul of India, Bharat Atma, will again speak. In this fiftieth year of freedom I consider it a privilege to support this Bill. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापरें): श्री रामदेव भंडारी। समय का ध्यान रखिएगा।

श्री राम देव भंडारी (बिहार): मैं समय के अंदर ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महोदया, मैं माननीय मंत्री श्री बोम्बई द्वारा सदन में पारण और विचार के लिए लाए गए इस महत्वपूर्ण विधेयक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 का समर्थन और स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर हिन्दी विश्वविद्यालय का नामकरण करके मंत्री जी ने इस देश की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति एक और कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम किया है। मैं मंत्री जी को इसके लिए भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, मंत्री जी अहिन्दी भाषी क्षेत्र से आते हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लाए हैं, यह उनके हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता तथा भाषात्मक एकता की दिशा में बड़ा सराहनीय प्रयास है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा हिन्दी के प्रति व्यक्त उद्गार उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि "यदि आप समूचे भारत की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप इस विशाल देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में एकता स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य है।" उन्होंने यह भी कहा था कि मैं हिन्दी भाषा पर इतना जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि राष्ट्रीय एकता हासिल करने के लिए यह एक बहुत जबरदस्त साधन है और जितना दृढ़ इसका आधार होगा उतनी ही सख्त हमारी एकता होगी। उन्होंने कहा था कि अगर हम देशी भाषाओं को फिर से अपना लें और हिन्दी को उसके उपयुक्त स्थान पर, राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दें तो देश की इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे हाथ में

तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए लड़के लड़कियों को शिक्षा देना बंद कर दूँ। ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने कहा था कि यदि दक्षिण भारत को क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंध कर रहना है और अखिल भारतीय मामलों में तत्संबंधी प्रयासों से अपने को दूर नहीं रखना है तो उन्हें हिन्दी पढ़ना जरूरी है।

श्रीमती दयानन्द जी ने कहा था कि मेरी आंखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब देशवासी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भाषा समझने और बोलने लग जायें। हिन्दी भाषा में इसके सब गुण मौजूद हैं। कुछ बातें हिन्दी के संबंध में अपने देश के महान नेताओं की हैं जो मैंने उद्धृत की हैं। महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि भाषा केवल व्यक्ति की ही नहीं, राष्ट्र की भी सब से बड़ी पहचान है। जिन मूलभूत तत्वों को ले कर कोई देश राष्ट्र कहलाता है उसमें राष्ट्र का क़ा संविधान, राष्ट्र का ध्वज, राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रभाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्दी राष्ट्रभाषा, राजभाषा या जनभाषा तीनों के रूप में अत्यधिक महत्व रखती है। हिन्दी कोई विशेष क्षेत्र या समुदाय की भाषा नहीं हो कर के व्यापक जन संपर्क की भाषा है जिसे राष्ट्र की अधिकांश जनता जानती है, समझती है। इतना ही नहीं स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेताओं ने हिन्दी को आंदोलन के हिस्से के रूप में बनाया था। मैं शास्त्री जी को सुन रहा था। शास्त्री जी विदेश गये थे। शास्त्री जी संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य हैं और मैं भी हूँ, श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय जी भी उसकी सदस्या हैं। यह संसदीय राजभाषा समिति केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का दौरा करती है, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों का दौरा करती है और यह देखती है कि हिन्दी का प्रयोग कितनी दूर तक हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं शास्त्री जी की भावना से सहमत हूँ कि हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में खोलने जा रहे हैं जहाँ से गांधी जी का बहुत निकट और घनिष्ट संबंध रहा है। मगर हमारे देश में हिन्दी का जितना प्रयोग होना चाहिये, जो सम्मान मिलना चाहिये, वह सम्मान हम अपने देश में नहीं दे पाए हैं। शास्त्री जी तो विदेश की बात कर रहे थे। यहाँ जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं यह "क" क्षेत्र में पड़ते हैं, "क" क्षेत्र का मतलब होता है शत-प्रतिशत हिन्दी में काम होना मगर जब भी हम केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में निरीक्षण के लिए जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हिन्दी को राजभाषा मानने के लिए वह तैयार नहीं है, वह मानसिकता अभी पैदा नहीं हुई है उनमें कि हिन्दी

को राजभाषा, राष्ट्रभाषा, के रूप में स्वीकार करें। अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गये लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज़ियत अभी भी बाक़ी है। माननीय मंत्री जी ने अहिन्दी भाषी राज्य से आने के बाद भी महात्मा गांधी के नाम पर हिन्दी विश्वविद्यालय खोला है, यह बड़ा अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं यह आशा करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी हिन्दी को मान-सम्मान मिलेगा, हिन्दी का प्रचार-प्रसार होगा। मैं इस आशा और उम्मीद के साथ माननीय मंत्री जी के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी को जो पांच प्रतिवेदन समर्पित किये गये हैं जिनमें से चार पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो चुके हैं, राष्ट्रपति जी के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए हमारा दायित्व हो जाता है कि उन्होंने जो आदेश हमें हिन्दी राजभाषा के संबंध में दिये हैं, उन्हें लागू करें। यह मैं मंत्री जी के माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सैयद सिब्ते रज़्ज़ी (उत्तर प्रदेश): माननीया महोदया, आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने एक अधूरे काम को पूरा किया है और हम सब की जो अभिलाषा थी, कामना थी उसकी सम्पूर्ति होते हुए दिखाई देती है। मैं अभी अपने योग्य साथियों, संसद सदस्यों को सुन रहा था। निश्चित रूप से हम सब की चिन्ता इस बात से जुड़ी हुई है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी अभी राष्ट्र गूंगा है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जब हम विदेशी भाषा का सहारा ले कर बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अपनी कोई भाषा नहीं है। और अभी भी हम लादी हुई और थोपी हुई भाषा का ही प्रयोग करके अपना ध्येय, अपना उद्देश्य दूसरों के सामने रखते हैं। गांधी जी का नाम आया और गांधी जी के नाम से इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। गांधी जी ने इस बात को कई मरतबे कहा था कि भारत की लड़ाई की जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई भाषा रही है वह हिंदी रही है और स्वतंत्रता के बाद भी शायद अभी हिंदी को वह स्थान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे वज्रहात हैं। लेकिन जो मुख्य कारण नजर आता है यह यह है कि हमने नेकनियती से प्रयास नहीं किया कि हिंदी को हम इतना सुदृढ़ बना सकें, शक्तिशाली बना सकें कि हमारे विश्वविद्यालयों में केवल हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि और जो हमारे विषय हैं, हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मजामीन हैं, इंजीनियरिंग है, हमारा आयुर्वेदिक जो विज्ञान

है और बहुत सारे जो हमारे पेशे से जुड़े टेक्निकल सम्बन्ध हैं उनमें हम हिंदी में पठन पाठन कर सकें। उसकी वजह यह है और हमें यह मानना पड़ेगा कि अभी भी संवर्धन शक्ति हिंदी की वह नहीं बन पायी है। इसलिए निश्चित रूप से हिंदी संस्कृत की बेटी है, संस्कृत की कोख से इसका जन्म हुआ है लेकिन नये युग के लिहाज से जो आवरण हिंदी को धारण करना चाहिए था शब्दावली का, शब्दों का कोश जो उसका असीम सीमा तक सुयोजित करना चाहिए था वह हम नहीं कर सके हैं और आज भी हम अपने प्रदेश की बात करें या हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर बात करें तो जहां वे शब्द जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रच बस गए हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका भी हम अनुवाद करें बजाए इसके कि हम इंजीनियरिंग और डाक्टरों के जो सम्बन्ध हैं उनमें हिंदी के लिए कोशिश करें कि कैसे उनको बदलें अपनी भाषा के अंदर हम उन शब्दों को जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं उनको बदलने के पीछे पड़ गए हैं। यदि इंजीनियर है तो उसका अधिशासी अभियंता नाम होगा। अस्पताल है तो उसका नाम बदलकर कुछ और कर देंगे। आज जितनी हमारी माडर्न, आधुनिक भाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर आप देखें तो आज जो पर्शियन है वह पर्शियन नहीं है जो 500 साल पहले थी। आज यदि पर्शियन को उसकी पुरानी लुगद से, उसकी पुरानी शब्दावली से देखें तो उसमें हजारों हजार शब्द ऐसे हैं जो फ्रेंच के आ गए हैं, जर्मनी के आ गए हैं, और दूसरी भाषाओं के आ गए हैं। उन्होंने उन शब्दों को अंगीकृत कर लिया है। तो मुख्य रूप से हमें ध्यान देना होगा कि हम क्लिष्ट हिंदी से हटकर साधारण मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति की हिंदी को भाषा बनाएं तब यह संभव हो पाएगा कि हम उसको एक गतिशील भाषा बना सकेंगे। आज हमें यह दुख होता है कि हम जब विदेश जाते हैं तो अपनी बातचीत करने के लिए हमारे पास अनुवादक नहीं होते, हमारे पास इन्टरप्रेटर्स नहीं होते। हमें खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इसके अन्दर जो क्लोजेज है उनमें मुख्य रूप से यह कहा है—आब्जेक्ट्स आफ यूनिवर्सिटी में, जो उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी का—कि हम यह व्यवस्था करेंगे कि ट्रेनिंग हो ट्रांसलेशन और इन्टरप्रेटेशन के क्षेत्र में। हमें इसको देखना होगा, समयबद्ध रूप से हमें इसको देखना होगा। आज जैसे कि अभी नयी आर्थिक नीति की बात होती है या विज्ञान में हमारे अनसंधान की बात होती है....(समय की घंटी) कि देशों से हमारा ज्यादा से ज्यादा संपर्क होता है। तो एक प्रायोरिटी बेसिस पर हमें उन देशों को आइडेंटिफाइ करना चाहिए और उन जगहों को जहां हमारी रोजमर्रा उनसे बातचीत

चलेगी और चलती है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए ट्रांसलेटर्स और इन्टरप्रेटर्स के सिलसिले में।

अब मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा क्योंकि आपने घंटी बजा दी है। यह बड़ा वृहद विषय है, इस पर देर तक चर्चा हो सकती है। आखिरी बात कहना चाहूंगा कि अभी हमने बड़े जोरदार तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है यूनाइटेड नेशंस है उसमें इस बात का मुद्दा बनाया क्योंकि हम सबसे बड़े, बाहुल्य लोकतांत्रिक देश हैं इसलिए हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हम इसी बात को लेकर चलते हैं कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा बाहुल्य देश हमारा है, लोकतन्त्र से जुड़ा हुआ हमारा देश है। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहां बोली जाती हैं लेकिन हमारे संविधान ने, हमारी संसद ने हमारी कास्टीट्यूट असेम्बली ने जिस एक भाषा को अंगीकृत किया है वह हिंदी है। और हिंदी को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में, यह जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, इसमें एक ऐसी भाषा की सूची में लिया जाए कि वहां हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम हिंदी में होना चाहिए। यदि इसके लिए हम प्रयास करें, क्योंकि वहां जो 5-7 भाषाएं हैं व भाषाएं देशों के अन्दर जितनी ज्यादा बोली जाती हैं उसके आधार पर वहां-पर इनको मान्यता दी गई है, लेकिन जब यह 90-95 करोड़ और आगे आने वाली सदी के अन्दर 100 करोड़ का हमारा देश हो जाएगा तो निश्चित रूप से दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का हम हिस्सा हैं और हमारी वह भाषा जिसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं उसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें बात-चीत के सिलसिले में हमें रखना है। मैं शास्त्री जी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि विदेश में हमारे जो नेता जाते हैं उनके अपनी भाषाओं में से किसी भाषा को वरीयता देनी चाहिए और निश्चित रूप से जब वरीयता का प्रश्न आएगा तो वह राष्ट्रीय भाषा का होगा। हमने हिन्दी का जो नुकसान किया है उसे हमें समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। मैं यह नहीं मानता कि दक्षिण के अन्दर कोई इस प्रकार की बात है कि जो साधारण जन है वह हिन्दी से इस तरह का क्लेश रखते हैं, द्वेष रखते हैं या दूरी रखते हैं। मुख्य रूप से सब से बड़ा नुकसान हमारा जो हुआ है यह यह है कि हमने भाषा की राजनीति के लिए प्रयोग किया है। निश्चित रूप से यदि यहां हमारा आदान-प्रदान ज्यादा हो और राजनीति के लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करें तो इससे हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा। हिन्दी से कभी उर्दू को लड़ाया गया और कभी दक्षिण भारत के अन्दर हिन्दी और वहां की स्थानीय भाषाओं को लड़ाया गया।

اذ سید سبط رضی التریز دیش: مانیہ مہودے۔
 آج مہاتما گاندھی انترراشٹریہ صفوی و شو
 ود صالحہ کے استقامت کے سمجھنے میں
 ودے یک پر چر چار رہے ہیں۔ میں بوجھائی
 دینا چاہتا ہوں مانیہ منتری جی کو انھوں
 نے ایک ادھودے کام کو پورا کیا ہے اور ہم سبکی
 جو اچھی لاشاعتی۔ کامنا حق اسکی سفید پوتی
 کرتے ہوئے دکھایا کرتی ہے۔ میں ابھی اپنے نوک
 ساتھیوں۔ منسو سید میوں کو سن رہا تھا۔
 نشیونے عوب سے ہم سب کی چنتا اس بات
 سے جبری ہو گیا ہے کہ سو تفرات کے وہ ور شوں
 کے جو بھی ابھی راشٹر کو نکالے۔ انترراشٹریہ
 منچ پر جب ہم وہ دیشی جاشا کا سہارا لیکر

بات حقیقت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری اپنی کوئی بے ماضی نہیں ہے۔ اور ابھی بھی ہم لادی ہوئی اور صفوی ہوئی بے ماضی کا ہی پیر لوگ کر کے اپنا دھندلے۔ اپنے ادیش دو سروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ گاندھی جی کا نام آیا اور گاندھی جی کے نام سے اس وحدانیہ کا نام لکرن کیا گیا ہے۔ گاندھی جی نے اس بات کو کئی مرتبہ کہا تھا کہ بھارت کے لوگوں کی جو مکھی دھارا سے جڑی ہوئی بے ماضی ہے وہ صفوی نہیں ہے اور سو مختار کے بعد شاید ابھی صفوی نہ وہ اسماعیل نہیں ملتا ہے جو ملنا چاہیے تھا۔ اس کے بہت سارے کارن ہیں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو مکھیہ کارن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیک نیتی سے پیر یا اس نہیں کیا کہ صفوی کو ہم اتنا سحر کرنا سکیں۔ شکی شای بننا سکیں۔ کہ ہمارے وجود و شعور دھاریوں میں کیوں صفوی ساتھ ساتھ کیا ہے نہیں بلکہ اور جو ہمارے وجود ہیں۔ ہمارے سبھی ایک ہیں۔ معنا میں ہیں انجینئر ونگ ہیں۔ ہمارے زیور دیو کے جو وگیاں ہیں اور بہت سارے جو ہمارے پیٹھ سے جڑے ہوئے ٹیکنیکل سبھی ایک ہیں ان میں ہم صفوی میں بھٹن باٹن کر سکیں۔ اسکی وجہ یہ ہے اور ہمیں یہ ماننا پڑ گیا کہ ابھی بھی مسعود صفی شکی صفوی کی وہ نہیں بن پائی ہے۔ اس کے

نشیجیت روپ سے صفوی سنسکرت کی بجلی
ہے۔ سنسکرت کی کوکھ سے اسکا جنم ہوا ہے
لیکن نے یوگ کے لحاظ سے جو آوری ہندی
تو دھارن کرنا چاہئے تھا۔ شہد آوری کا۔
شہدوں کا کوش جو اسکا اسیم سیمانت
سیمانت کرنا چاہئے تھا۔ وہ ہم نہیں کر
سکتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے پیر دیش کی بات
کریں۔ یا صفوی عباسی پردیشوں کے اندر
بات کریں تو جہاں وہ شہد جو ہماری مدد
کی زندگی میں رچ بس گئے ہیں۔ ہم کوشش
کرتے ہیں کہ انکا بھی ہم انواد کریں بجائے
اسکے کہ ہم انجیئرنگ اور ڈاکٹری کے جو
سبجیکٹ ہیں انیس صفوی کیلئے کوشش
کریں کہ کچھ انکو بولیں اپنی عباسی کے اندر
ہم ان شہد کو جو ہم روزمرہ کی زندگی
میں بوئے جاتے ہیں انکو بدلنے کے پیچھے
پر گئے ہیں۔ یدی انجیئر ہے تو اسکا ادھشای
اعینستانام ہوگا۔ اسپتال ہے تو اسکا نام
بدل کر کچھ اور کر دیں گے۔ آج جتنی ہماری
مالحدون آدھونک عباسی ہیں۔ انتر
راشٹرہ جگت میں اگر آپ دیکھیں تو
آج جو پریشین ہے وہ پریشین نہیں ہے جو
پانچ سو سال پہلے تھی۔ آج یدی پریشین
تو اسکی پرانی اسطہ سے۔ اسکی پرانی شہد
وری سے دیکھیں تو اسکی پرانی شہد

ایسے ہیں جو فرینچ کے آگے ہیں۔ اور
دوسری عباسیوں کے آگے ہیں۔ انھوں نے
ان شہدوں کو انگلیکرت کر لیا ہے۔ تو
مکھ روپ سے ہمیں دھیان دینا ہوگا۔
ہم کلمش ہندی سے صحت کر سادھارن
منورتی دیکھنے والے دیکھتی کی صفوی تو
عباشا بنا لیکن تب یہ سنبھو ہو پائے گا
کہ ہم اسکو ایک نئی شیل عباسی بنا سکیں گے
آج ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم ویش جلتے
ہیں تو اپنی بات چیت کرنے کیلئے ہمارے
پاس انوادک نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس
انٹرپرائس نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں خوشی
ہے کہ مانینے منتری جو نے اسکے اندر کلڈرز
ہیں انیس مکھ روپ سے یہ کہا ہے۔ ”آبیگھن
آف یونیورسٹی“ میں۔ جو مقصد ہے اس
یونیورسٹی کا۔ کہ ہم یہ ویو سمجھا کریں گے کہ
ٹرننگ ہو ٹرانسلیشن اور انٹرپرائسٹن
کے چھتر میں۔ ہمیں اسکو دیکھنا ہوگا۔
سے بڑھ روپ سے ہمیں اسکو دیکھنا ہوگا
آج جیسے کہ ابھی نئی آڑھک نیتی کی بات
ہوتی ہے یاوگیان میں ہمارے انوسدھان
کی بات ہوتی ہے۔۔۔ وقت کی گھنٹی۔۔۔
لن دیشوں سے ہمارا زیارہ اس
مسالے میں سمپرک ہوتا ہے۔ تو ایک پراپرٹی
ہیں پر ہمیں ان دیشوں کو ایکٹو نشیجائی

کرنا چاہیے اور ان زبانوں کو جہاں ہماری
روزمرہ (میں) بات چیت چلیگی اور چلتی ہے
انکو براہِ راست دیٹی چاہیے۔ ٹرانسلیٹر میں اور
انٹرپرائز میں کے سلسلہ میں۔

اب میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا
کیونکہ اپنے گفتنی بجا دی ہے۔ یہ بڑا عمدہ
وشیہ ہے۔ اس پر دیر تک چرچا ہو سکتی
ہے۔ آخری بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے
بڑے زوردار طریقے سے جو انٹراکشن
سرکٹس پریشو ہے یونا یونیورسٹیشن میں ہے
اس میں اس بات کا مدعا بنایا کہ کیونکہ ہم سب
سے بڑے باہولیہ نوک تا انٹرکٹیشن ہیں۔
اس لیے ہمیں سیکیورٹی کو نسل میں جگہ دینی
چاہیے۔ لیکن کیوں نہیں ہم اس بات کو لیٹر
چلتے ہیں۔ نہ چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ
باہولیہ دیٹیشن ہمارے نوک تا انٹرکٹیشن سے بڑا
ہوا ہمارا دیٹیشن ہے۔ بہت ساری جماعتیں
ہماری یہاں بولی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے
سفودھان نے۔ ہماری مسند نے ہمارے
کا نسٹی ٹیوٹ اس میں نے جس ایک جماعت
کو انٹرکٹ کیا ہے وہ صفی ہے۔ اور صفی
کو انٹرکٹیشن جگہ میں۔ یہ جو ہمارا
یونا یونیورسٹیشن ہے۔ اس میں ایک ایسی
جگہ کی صورت میں لیا جائے کہ وہاں
ہمارا پورا پورا کاروائی کر رہے ہوں
ہونا چاہیے۔ یہی اس کے ہم پر اس کر رہے۔

کیونکہ وہاں پانچ سات جماعتیں ہیں وہ
جماعتیں دیٹیشن کے اندر جتنی زیادہ
بولی جاتی ہیں۔ اس کے آدھار پر وہاں پر
انکو مانیتادی ہوگا ہے۔ لیکن جب یہ نوک
چھانوس کر و اور آگے تھے وہی صفی کے
اندر۔ اور وہاں ہمارا دیٹیشن ہو جائیگا۔
تو شپت روپ سے دنیا کی ایک بہت بڑی
آبادی کا اہم حصہ ہیں اور ہماری وہ
جماعت جسے ہم (شٹریہ جماعت) کہتے ہیں۔
اسے انٹرکٹیشن جگہ میں۔ یونا یونیورسٹیشن
نیشن میں۔ اس میں بات چیت کے سلسلہ

میں ہمیں رکھنا ہے۔ میں شامتری جی کے
یورن روپ سے سمجھتا ہوں کہ وہ دیٹیشن میں
ہمارے جو نیتا جاتے ہیں۔ انکو اپنی جماعتوں
میں سے کسی جماعت کو ٹوری نیتا بنانا چاہیے
اور شپت روپ سے جب ٹوری نیتا
کا پریشی ہو گیا۔ تو وہ (شٹریہ جماعت)
کا ہو گا۔ ہم نے صفی کا جو نقصان کیا ہے

اس میں سے بدھ طریقے سے پورا کرنے کی
وشش کرنی ہوگی۔ میں نے نہیں مانتا
کہ دشمن کے اندر کوئی اس پر کاری
ت ہے کہ جو سادھان جن میں۔ وہ صفی
سے اس کے سے کلینڈر رکھتے ہوں۔ دیٹیشن
رکھتے ہیں۔ یاد دہانی رکھتے ہیں۔

میں سے سب سے بڑا نقصان ہمارا جو ہوا ہے۔
وہ یہ ہے کہ ہم نے عجائبات کو راج نہیں کیلئے
پر یوگ کیا ہے۔ نشیبت روپ سے یو
یہاں ہمارا آدرن پر دن زیادہ ہوا اور
راج نہیں کیلئے اسکا استعمال نہیں کریں۔
قواسی سے صفی کو بڑھا اور ملوگا۔ صفی
سے کھیں اور کو بڑھایا گیا اور کھج دکنش
عبادت کے اندر صفی اور وہاں کی استغناء
عجائبات کو بڑھایا گیا۔

انت میں میں لکھنا چاہو مگر نہ
یہ جو ہماری راشترب عجائبات سے بڑھ
لکھنے دل کا پر درشن کرنا چاہیے کہ جس جھنتر
میں یہ عجائبات اکثریت سے ہو جاتی ہے۔
جہاں زیادہ سے زیادہ یہ صفی عجائبات
ہو جاتی ہے۔ وہاں صفی والوں کا ہمارا
سب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں
کہ جو جموں عجائبات ہیں۔ علاقائی
عجائبات ہیں۔ جنکا اپنا کوئی ٹھکانہ
ہے۔ لیکن کسی علاقہ میں جو صفی
علاقہ ہیں اور وہاں ہزار۔ دو ہزار لوگ
بھی اپنی کوئی استغناء عجائبات یا مادری
زبان بولنا چاہتے ہیں تو صفی کا اس
عجائبات سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا چاہیے۔
اس طرح سے دکنش عبادت میں باھو لینے

جہاں بولنے والے ہیں انھیں بھی اس بات
ور حیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا صفی
سے کوئی ورودھ نہیں ہے۔ یہ جیسے 50
سال کے اندر اس میں بہت تبدیلی آئی ہے۔
لیکن مکھدہ اور حیا سے نقصان جب ہو
جاتا ہے۔ تب ہم اسکا راج نہیں کریں گے
لگتے ہیں۔ میں ملانے منتری جی کھو بدھا
دینا چاہو مگر اس بل کو یہاں وہ لارے
ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے
سے یہ بل پاس ہو گا اور صفی کی پرگتی
کے راستے میں ایک نیا ایام بنیگا۔

PROF. (SHRIMATI) BHARATI
RAY (West Bengal): Madam, I beg your
permission to speak in English. Yester-
day, a friend of mine, who is very sharp
and for whom I have great regard, ad-
vised me to be a good student. I hope to
be a good student of Hindi, and with the
help of my two colleagues, Shri Vishnu
kant Shastriji and Shrimati Chandra kala
Pandey, I hope to be able to learn Hindi
in a rather short time. But for today, I
would like to seek your permission to
speak in English.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS
SAROJ KHAPARDE): Please go ahead.
You can speak in English.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI
RAY: Madam, I rise to support the
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi
Vishwavidhyalaya Bill, 1995. The Bill
seeks to establish a university for the
promotion and development of Hindi lan-
guage and literature, through teaching
and research. It is welcome, particularly
if this is promoted as a centre of learning.
Yet, I have a few questions to put and a
few clarifications to seek.

In the first place, with the limited resources at our disposal, the existing universities, with one of which I was intimately connected, are finding it very difficult as they are suffering from an acute scarcity of funds. We have to consider whether we have enough resources to build a university. Here I agree with Dr. Aram that a university should be well-equipped because there is no point in building an institute and leaving it at a half-completion stage. So, we have to consider that. The existing universities are being advised to generate their own resources. They are unable to do so in having the knowhow. Now, the industry is likely to come to the help of the academia only if the academia produces research and manpower for it. Just as my friend said, the British system of education was supported and promoted in order to produce bureaucrats at the lower echelons for the colonial rulers.

Now, the question to consider is whether we have enough funds, whether we fund it properly, as adequately as for the universities, or the new university will be advised to start from the very beginning to develop its own fundings. The second question is that there are many Hindi Departments in the different Universities of India. Some of them are very good. One of them is headed by my friend, Shri Vishnu Kant Shastriji. They do not have enough money to fill up the posts. They have no money for research. How much money should be given to them for the promotion of this official language about which some of my colleagues have expressed very strong opinion? Some money should be given to these Departments also. In any case, what is the envisaged coordination, that is, a sort of correlation between these Hindi Departments and the projected or proposed University? It is important because clause 6 say, "The jurisdiction of the University will extend to the whole of India." So, this question of coordination and inter-relation becomes important. The third and the most important question is that

there are 14 official languages in India, each of which needs support; needs to be promoted. Now, Hindi should not be isolated from these languages and other disciplines which were just mentioned because there is a possibility of growing isolation, if I may say so, or arrogance. My training as a historian rings a warning bell that there is a little danger of forces of disintegration arising out of this attempted and cherished integration. In this whole Bill there is just half a sentence about the comparative studies in research in Hindi and other Indian languages. I think there is need for a much greater emphasis on interaction with other languages for cross-fertilisation of ideas which was also recommended by the Standing Committee. For universal values our Indian languages like Telugu, Kannada, Tamil, Bengali and various others are very rich and they should be given due recognition and place of importance in this new University. To provide that, may I humbly make two suggestions? The first suggestion is that sound knowledge of at least one other Indian language should be made compulsory for admission requirement. That is to say, You may know English, German or Spanish, but acquaintance in one other Indian language is a must. The second suggestion is this. The 'School of Culture' be substituted by the 'School of Comparative Literature' because two Schools of Language and Literature should be able to serve the cause of culture as well. What is language and literature if they are not vehicles of culture in any way? Coming to the provisions of the Bill -- I would go clause by clause -- there is one thing, and I would not call it an anomaly, but a question, that there is a post of Visitor; then there is a Chancellor; then there is a Vice-Chancellor as well. Now, the functions of the Visitor have been detailed. The powers and the function of the Vice-Chancellor have been mentioned. But nothing is mentioned about the Chancellor. It is mentioned in the Bill that he is an officer of the University unlike the Chancellor in Calcutta. (*Time Bell*) Half a minute,

Madam. The Vice-Chancellor is a whole-time salaried staff, but nothing is mentioned about the Chancellor. His only function is that he will visit at the convocation and he is nominated from amongst some academicians. So, there is a potential danger of tension between the Chancellor and the Vice-Chancellor if the powers and functions of both are not properly mentioned or defined. Secondly, there is also a danger of tension between the Executive Council and the Academic Council.

Secondly, there is also a danger of tension between the Executive Council and the Academic Council. I will not go into the details due to paucity of time. I will not go para by para. But, I would like to mention that the Academic Council has the powers to decide the Academic Policies of the University — Clause 22 — and proper action there on. Clauses 5 and 13 of the Bill give the Executive Council the power to consider the recommendations of the Academic Council without specifying who the final authority is. One would not like to be a rubber stamp of the others and the others would not like that their decisions are not accepted by the Executive Council. So, Madam, these are the few points and comments that I would like to submit to the hon. Minister for his kind consideration. With these remarks, I support the Bill. Thank you.

श्री एच० हनुमन्तप्पा : उपसभाध्यक्ष महोदया, प्रो० अरम् साहब ने अपनी तकरीर शुरू करते हुए बताया कि 223 यूनिवर्सिटी अभी देश में मौजूद हैं और हिन्दी विश्वविद्यालय बन जाने से 224 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। सारे विश्वविद्यालय अंग्रेजी का प्रचार कर रहे हैं, उसकी अभिवृद्धि कर रहे हैं। यह जो हिन्दी के लिए विश्वविद्यालय आ रहा है, इसमें कम से कम हिन्दी में ही काम करना है। इसीलिए मैंने एक अमेण्डमेंट मूव किया है सेक्शन 3 में — There shall be an established university by name 'Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya', which will carry all its activities in Hindi language.

एक माननीय सदस्य: इसे हिन्दी में होना चाहिए था।

श्री एच० हनुमन्तप्पा: जरूर। चूंकि अब अंग्रेजी में किताब आई है, अंग्रेजी में ही लिखा है। जब मैं हिन्दी में बोल सकता हूँ तो अमेण्डमेंट भी मैं हिन्दी में दे सकता हूँ।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: आपने मेरी बात का समर्थन किया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री एच० हनुमन्तप्पा: आपने भी बिल का समर्थन किया है, मैं भी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): शास्त्री जी की अच्छी बात का हम समर्थन करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): आपका जो अमेण्डमेंट आया है। वह हिन्दी में नहीं आया, अंग्रेजी में आया है।

श्री एच० हनुमन्तप्पा: वह तो मैं करेक्ट कर देता हूँ ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): नहीं, नहीं। हनुमन्तप्पा जी, मैंने करेक्शन के लिए नहीं कहा। Do not misunderstand.....**(interruptions)**....

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The background of which I am talking about सबाल यह है कि सरकार की मंशा क्या है? आप हिन्दी के लिए अलग विश्वविद्यालय का बिल लाते हो और हिन्दी को जोड़ नहीं सकते। मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैडम, 1947 में आजादी के तुरन्त बाद आचार्य कृपलानी जी, सुचेता कृपलानी जी हासन में आए। शायद आपके प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में वहां स्टुडेंट थे। आजादी के तुरन्त बाद, देश के नेता आ रहे हैं आचार्य कृपलानी जी, तो हजारों की तादाद में लोग जमा हुए उनको सुनने के लिए। आचार्य जी खड़े हो गए और हिन्दी में अपना भाषण शुरू किया। सारे लोग बोले कि अंग्रेजी में बोलो, हम हिन्दी नहीं समझते हैं। आचार्य जी बोले - हमने अंग्रेजों को भारत से हटा दिया, मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा। वह बैठ गए। सुचेता जी, दूसरे नेता आपस में चर्चा करते बैठे रहे। इधर लोग हिले नहीं कि हम तो आपको सुनकर जाएंगे। आचार्य जी ज़िद करके बैठे रहे कि मैं हिन्दी के सिवा अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा। तब हमने बहुत मुश्किल से हिन्दी अध्यापकों को भीड़ में ढूंढना शुरू किया और वह मिले नहीं, लेकिन कोई महाराजा कॉलेज के एक हिन्दी आप्शनल के विद्यार्थी मिले। उस समय मैं तो सेवा दल का कार्यकर्ता

था। तो उस विद्यार्थी को पकड़ लाए और कहा कि छोटे छोटे जैसे कजड़ में अनुवाद करो, जो हिन्दी में नेता जी बोलें। उस जमाने में जैसे नेताओं में हिन्दी के लिए जो मान था, क्या आज की सरकार की चाहे वह हमारी हो या इनकी भी हो, मंशा ठीक है?

अच्छा है कि राजभाषा सलाहकार समिति के सदस्य यहां बैठे हैं। आपको मालूम है कि उधर पोस्ट नहीं है, टाइपराइटर नहीं है, टाइपिस्ट नहीं है। आज सरकार का सारा काम अंग्रेजी में चलता है और हिन्दी में आप अनुवाद कर रहे हैं। हिन्दी में काम करो और अंग्रेजी में अनुवाद करो। अंग्रेजी का अनुवाद बालू को चाहिए, नारायणसामी को चाहिए, हनुमन्तप्पा को चाहिए, सिन्धे रंजी को नहीं चाहिए। जिनको अंग्रेजी का अनुवाद चाहिए, अंग्रेजी में अनुवाद करके दे दो। जो काम हिन्दी में कर सकते हो, वह काम अंग्रेजी में क्यों करते हो? यह मंशा ठीक नहीं है। ये हिन्दी के लिए एक विश्वविद्यालय ला रहे हैं। मैं सरकार की मंशा देखना चाहता हूँ, मेरे अमेंडमेंट को वह स्वीकार करें। अगर वह अमेंडमेंट फेल हो गया तो हिन्दी फेल हो जाती है। मैं तो अमेंडमेंट विदड्रा करने वाला नहीं हूँ। हिन्दी लैंग्वेज के लिए एक यूनिवर्सिटी आ रही है, मैंने उसमें एक अमेंडमेंट मूव किया है, मैं वह अमेंडमेंट विदड्रा नहीं करूंगा। मंत्री जी, हिन्दी को आप हगऑ, हिन्दी को हाउस में हराओ और हिन्दी बिल पास करो या फिर हिन्दी में ऑफिशियल अमेंडमेंट एक्सेप्ट करो।

श्रीराम के पट्टाभिषेक के बाद सीता माता ने हनुमान जी को एक मोतियों की माला दी। मैं हनुमान हूँ। हनुमान जी ने एक-एक मोती को तोड़कर देखा। सीता माता गुस्सा हो गई कि यह क्या बात है, मैंने तो इतने प्यार से तुमको माला दी है और तुम इसको तोड़ रहे हो। हनुमान जी बोले कि मैंने तोड़कर देखा कि इधर कोई राम है क्या? मोती में राम नहीं था। तब सीता माता ने गुस्से में पूछा कि राम कहाँ हैं? तो हनुमान जी ने छाती फाड़कर दिखाया कि राम इधर हैं और उसका एक बाल भी निकालकर फेंका तो वह भी 'राम-राम' बोल रहा था।

जब हिन्दी का काम कर रहे हैं तो हिन्दी में होना चाहिए। हिन्दी विश्वविद्यालय का काम कम से कम हिन्दी में होना चाहिए। अंग्रेजी बढ़ाने के लिए हिन्दी विश्वविद्यालय चाहिए क्या? उसके लिए है बहुत सारे विश्वविद्यालय। यह 224वां विश्वविद्यालय, हिन्दी विश्वविद्यालय हम अंग्रेजी का काम बढ़ाने के लिए बना रहे हैं क्या? इसलिए सरकार की मंशा को यह चुनौती है

कि वह इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करे। हिन्दी के नाम पर बहुत कुछ हम बोल रहे हैं, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन हिन्दी का काम नहीं हो रहा है।

मंत्री जी, आपने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का नाम लिया है। मैं उसी का विद्यार्थी हूँ। उसका अध्यक्ष भी रह चुका हूँ कर्नाटक शाखा का। उसका काम भी मैंने देखा है। वहां हिन्दी का स्कूल भी है और परीक्षाएं भी चलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के खिलाफ नहीं हैं। हिन्दी के खिलाफ आप लोग हैं जो हिन्दी के बिना हिन्दी का बिल ला रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मंशा ठीक रखिए। हिन्दी के लिए हम सब तैयार हैं। महात्मा गांधी के कहने पर हमने आजादी के पहले ही हिन्दी सीखना शुरू कर दिया था। हम देख रहे हैं कि यहां हिन्दी के नाम पर चिल्लाना चल रहा है, हिन्दी के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है लेकिन हिन्दी का काम कुछ नहीं हो रहा है। आपने यह महसूस किया कि हिन्दी पीठ के रहते हुए हिन्दी का काम नहीं हो रहा है, 223 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का काम नहीं हो रहा है। इसको समझ-बूझकर आप हिन्दी के लिए एक अलग विश्वविद्यालय बनाने का बिल लेकर आए हैं, इसलिए हिन्दी के सिवाय दूसरी भाषा का चलन नहीं रहना चाहिए, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदया, गांधी जी के यह शब्द आज मुझे याद आ रहे हैं — "हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए हैं लेकिन अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं।" स्वतंत्रता के 50 साल बाद जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो इस 50 साल बाद हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का जो विधेयक इस सदन में श्री बोम्मई जी के हाथों से पेश किया गया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है ... (व्यवधान)...

हनुमन्तप्पा जी ने जो बताया है कि हिन्दी के विरोधी दक्षिण वाले नहीं हैं, हिन्दी के विरोधी हिन्दी वाले ही हैं, क्योंकि सर्वप्रथम भाषा के रूप में एक तमिलनाडु विश्वविद्यालय की स्थापना तमिलनाडु में हुई है और विचार आते ही सालों में तेलगू विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद में हुई है। लेकिन हिन्दी विश्वविद्यालय का विचार 20 साल बाद आज हो रहा है। इसलिए इससे भी हमें पता चलता है कि हिन्दी के विरोधी कौन हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, इस संदर्भ में मैं दो विषयों पर मंत्री जी की दृष्टि को लाना चाहता हूँ। आज एक और सौभाग्य मुझे मिला है। हमारे बाजुबल बालू साहब ने

यह ऐलान कर दिया है कि इस सदन में डी०एम०के० हिन्दी के विरोधी नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूँ कि भारत के हर प्रांत में जहां भी हो हम रात में और दिन में सुबह हिन्दी समाचार दूरदर्शन में सुन सकते हैं, तमिलनाडु में नहीं सुन सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी भारतवासी को तमिलनाडु में हिन्दी समाचार सुनने और देखने का सौभाग्य मिले। ...**(व्यवधान)**...

श्री एच० हनुमन्तप्पा: मैं परसों मद्रास में था, हिन्दी में न्यूज सुनी... **(व्यवधान)**... बस चैनल बदलना है। मद्रास में बैठ करके हिन्दी का समाचार सुन सकते हैं...**(व्यवधान)**... उनको मालूम नहीं है।

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: अगर हो रहा है तो धन्यवाद...**(व्यवधान)**... नेशनल नेटवर्क पर नहीं हो रहा है। मैडम, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस विधेयक के दो विषयों पर मंत्री जी की दृष्टि को आकर्षित करना चाहता हूँ। एक था, इस विश्वविद्यालय की स्थापना और कार्य परिषद के निर्माण में पूरे दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने बेटे देवदास गांधी जी को हिन्दी प्रचारक के रूप में दक्षिण भेजा था। उसके बाद ट्रेनिंग देकर फिर वापिस आए। तब से लेकर अब तक हिन्दी साहित्य को सुसम्पन्न करने वाले बहुत से हिन्दी पंडित और साहित्यकार दक्षिण से आए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन हिन्दी प्रांतों का नाम और निशान नहीं है। इसलिए मैं इस विषय पर यह जो अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना और उसके कार्य परिषद के निर्माण में पूरे देश को दृष्टि में रखकर सभी प्रांतों से, सभी राज्यों से जो विद्वान हैं उनको सदस्य बनाने की कृपा करें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दृष्टि आकर्षित की है तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। क्योंकि भारतीय भाषाओं की पुष्टि से ही राजभाषा हिन्दी की पुष्टि हो सकती है। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए तुलनात्मक साहित्य अध्ययन की पीठ को भी इसमें शुरु करें तो अच्छा होगा। इस संदर्भ में विष्णु कान्त शास्त्री जी ने जो सुझाया है, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषाओं से और हर एक भाषाओं से शब्दों को अपनाकर अपने भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाती है इसलिए लोग उसको अधिक चाहते हैं। यह रेल, रोड सभी अपनाते हैं। हमको हिन्दी में कट्टरता से कुछ दूर रहना है। अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी अपनाना है। उदाहरण के लिए, "सबवे"

यह तीन अक्षरों का शब्द है, जबकि हिन्दी में उसकी जगह लिखते हैं-भूमिगत पैदल पार पथ" देखिए, राममनोहर लोहिया अस्पताल के सामने ऐसा सबवे पर लिखा हुआ है। तो हमें इस कट्टरता से भी दूर रहना है। मैं कहता हूँ कि हिन्दी को थोपना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिन्दी को चन्दन के समान लेपना है, तिलक के समान लगाना है। चन्दन की शीतलता और तिलक की पावनता हिन्दी के प्रचार और प्रसार में होनी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

श्री नरेश यादव (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं हिन्दी प्रदेश से आता हूँ और हिन्दी के प्रति प्रेम है।...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश अग्रवाल: (राजस्थान): हमारे दो सम्मानीय सदस्य श्री हनुमन्तप्पा कर्नाटक से आते हैं और श्री लक्ष्मी प्रसाद आन्ध्र प्रदेश से आते हैं ये दोनों ही हिन्दी में बहुत अच्छा बोले हैं। इसलिए यह मिथ्या प्रचार है कि दक्षिण में हिन्दी का विरोध है।

श्री नरेश यादव: महोदया, हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने 15 साल में इस देश में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को बनाने का फैसला लिया था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। 1975 के संकल्प को 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार और हमारे माननीय मंत्री श्री एस०आर० बोम्बई साहब ने इस बिल को यहां लाकर एक महान कार्य किया है इसका मैं स्वागत करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लूंगा। डा० राम मनोहर लोहिया अमेरिका के दौर पर थे, जिन्हें हिन्दी से अटूट प्रेम था। वहां के नौजवानों ने डा० लोहिया साहब को घेरा और घेर करके पूछा कि डा० लोहिया साहब भारत में गरीबी है, अकाल है, बेरोजगारी है और आप फिर हिन्दी के लिए क्यों आन्दोलन कर रहे हो? तो डा० राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा कि आप बताओ अमेरिका की भाषा क्या है? नौजवान ने कहा कि यहां की भाषा अंग्रेजी है। इस पर डा० लोहिया साहब ने कहा कि आज से केनेडी साहब को कहो कि अमेरिका की भाषा अंग्रेजी के बजाय हिन्दी कर दो तो नौजवान बोला कि ऐसा कैसे होगा? डा० लोहिया ने कहा कि अगर हो गया तो क्या करोगे? इस पर नौजवान ने कहा कि मैं पूरे अमेरिका में आग लगा दूंगा। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम उस देश के नौजवानों में अपनी भाषा के प्रति है। आज हमारे देश में राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति कितना प्रेम है वह मैं आपको बताता हूँ। यहां हिन्दी दिवस मनाया जाता है

लेकिन हवाई जहाज की उड़ान में हिन्दी का अखबार नहीं दिया जाता है। अगर हम दक्षिण में जायें तो कोई बात नहीं है वहां तमिल, तेलगु, कन्नड़ पढ़ने वाले हैं इसलिए वहां पर हिन्दी का अखबार नहीं दिया जाता है तो कोई बात नहीं है लेकिन हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का अखबार नहीं दिया जाता है। हिन्दी का अखबार मांगने पर कहा जाता है कि हिन्दी के अखबार की मांग नहीं है। यह बड़े दुख की बात है मैं अपने साथी श्री नायणसामी जो कि पांडिचेरी से आते हैं और जिनकी मातृ भाषा तमिल है और श्री हनुमनतप्पा जी जो कि कर्नाटक से आते हैं और जिनकी मातृभाषा कन्नड़ है, ने आज हिन्दी में बोलकर के न केवल इस सदन का बल्कि हिन्दी की मान-मर्यादा को बढ़ाया है, को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही श्री लक्ष्मी प्रसाद जी जिनकी मातृभाषा तेलगु है और तेलगु भाषा के रहते हुए भी इन्होंने हिन्दी में बोलकर हिन्दी का सम्मान बढ़ाया है इसलिए इनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज हिन्दुस्तान के 90 करोड़ लोगों में से 35 करोड़ लोगों की भाषा हिन्दी है तो क्या आप अपनी भाषा हिन्दी में इस सदन में नहीं बोल सकते हैं? पूरी दुनिया के 38 करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं। मैं आपको बता दूँ कि दुनिया के मुल्कों में हिन्दी कहाँ-कहाँ है, रूस, चीन, फिजी, अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, नावे, हंगरी, चेक, रोमानिया, बुल्गारिया, मारीशस, त्रिनिदाद, भूटान, बैकाक और सूरीनाम आदि देशों में हिन्दी बोली जाती है। कहीं हिन्दी के प्रति कोई नफरत नहीं है इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है।

महोदया, मुझे उस समय खुशी हुई जब मैं इंग्लैंड के दौर पर था। मैं नाम भूल रहा हूँ हमारी एक हिन्दुस्तान की महिला वहां हाउस आफ लार्ड्स की मेम्बर है। हाउस आफ लार्ड्स की उस महिला मेम्बर ने जब हम लोगों को पूरा सदन घुमाया तो वह महान महिला हम लोगों को हिन्दी में बता रही थी। मैंने कहा कि आप हिन्दी बोलना जानती हैं, तो वह बोली क्यों नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ और हिन्दी जानती हूँ।

हमारे देश से जो शिष्टमंडल विदेश में गया था उनके स्वागत के लिए उस देश के लोगों ने खाने पर बुलाया और पूरी की पूरी बातचीत हिन्दी में की लेकिन हमारे देश के शिष्ट मंडल अंग्रेजी में ही बोले। भारतीय लोग विदेशों में जाकर हिन्दी में बोलना अपना अपमान समझते हैं। हिन्दी बोलना अपमान नहीं है, हिन्दी बोलना स्वाभिमान है क्योंकि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। पिछले वर्ष उजबेकिस्तान का एक शिष्टमंडल भारत आया था उसके स्वागत के लिए हमारे देश के प्रतिनिधि जब गये

तो मुझे उस समय बहुत झटका लगा जब उन्होंने अपना पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया लेकिन उजबेकिस्तान के प्रतिनिधि जब भारत का आभार प्रकट करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में शुरू किया। हमारे लिए यह कितने शर्म की बात थी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मानव संसाधन मंत्री ने यह विधेयक लाकर बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश की जनता और यह सदन अपना संदेश भेज रहा है, आज अच्छा संदेश पूरे देश में जा रहा है, एक महान भाषा के प्रति पूरा सदन एक है। जैसा अभी हनुमनतप्पा साहब ने कहा कि अंतराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का काम हिन्दी में ही होना चाहिये, यह बहुत आवश्यक है यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सारा काम-काज अंग्रेजी में होगा। आज हमें अपनी इच्छाशक्ति को जगाना है। अपनी प्रतिष्ठा से अंग्रेजी को न जोड़ें अपितु हिन्दी को जोड़ें। अगर हमने अपनी प्रतिष्ठा से अंग्रेजी को जोड़ लिया तो हम कभी देश का कल्याण नहीं कर सकेंगे। हमारी प्रतिष्ठा इसी में है कि हम देश की अपनी भाषा तमिल, तेलगु, कन्नड़, बंगाली या मलयालम जो भी हो ये सभी भाषाएं हमारी भाषाएं हैं। जितना देश का विकास इस देश की अपनी भाषा में हो सकता है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकता।

श्री गया सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये महात्मा गांधी जी के नाम पर अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल इस सदन में लाये हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का पूर्णरूप से समर्थन करते हुए सिर्फ एक दो बातों की चर्चा करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी न आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करके असहयोग आंदोलन द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। उनके मरने के बाद, उनकी शहादत के बाद इस देश में हिन्दी को जिस रूप में अपनाया जाना चाहिये था अभी तक नहीं अपनाया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों के ठीक ही कहा है कि 1975 के बाद हम 1996 में इस बिल को ला रहे हैं लेकिन इस संयुक्त मोर्चा की सरकार को और उसके मंत्रियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 25 साल बाद भी इन्होंने महसूस तो किया और सत्ता में आने के बाद अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय की स्थापना का बिल लाये हैं। एक

दो सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आज देश में 223 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का जो प्रचार और प्रसार होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। यह

शंका जरूर है कि इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में कितना समय लगेगा और इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए सदन में यदि आज मंत्री जी घोषणा करें तो माननीय सदस्यों की शंका भी दूर हो सकती है। देश की एकता और अखंडता के लिए देश में जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसकी चर्चा कुछ माननीय सदस्यों ने की, चाहे इस देश के प्रधान मंत्री हो, एम्बेसडर हों या कोई भी आफिसियल हो वह

15 अगस्त व 26 जनवरी के मौकों पर लाल किले से या राज्यों में देश को सम्बोधित करे तो नीचे के लोगों में हिन्दी के प्रति श्रद्धा होगी। इस देश में जो विदेशी राजनीयक आते हैं वे चाहे पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं या बाहर बात करते हैं सभी अपने-अपने देश की भाषाओं में बात करते हैं लेकिन हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर अंग्रेजी में ही बात करते हैं। पिछले साल रसा के प्रेसीडेंट...

श्री सतीश अग्रवाल: चेक रिपब्लिक के जो राजदूत दिल्ली में हैं वे बड़िया हिन्दी बोलते हैं। वहां पर हम लोग प्रेसीडेंट के साथ गए थे अक्टूबर में तो वहां क्रेकोव युनिवर्सिटी में हिन्दी भाषा का विभाग है; रामायण, महाभारत, गीता, कुरान वहां सब पुस्तकें हिन्दी में हैं। हम लोगों ने और राष्ट्रपति महोदय ने ढेर सारी हिन्दी पुस्तकें उनको भेंट की हैं। वहां बहुत ज्यादा प्रचार हिन्दी का है।

श्री गया सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, दो साल पहले रूस के राष्ट्रपति यहां आए थे। वे रूसी में बात कर रहे थे और हमारे यहां के लोग, हमारे जो नेता हैं वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजी छोड़कर देश की जो भाषाएं हैं अगर उनका सम्मान करते हुए राष्ट्र भाषा को अगर हम आगे ले चलेंगे तो इससे देश का सम्मान बढ़ेगा और देश की एकता और अखंडता में एकरूपता आएगी। इससे देश की विभिन्न जातियों और भाषाओं के लोगों में देश के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और हमारे अंदर जो साम्प्रदायिक भावना है उसमें कमी होगी तथा इससे हम देश को आगे ले जा सकेंगे। इन शब्दों के साथ जो यह बिल हमारे सामने आया है इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं और श्री हनुमन्तप्पा जी ने जो संशोधन दिए हैं उन संशोधनों का जरूर समर्थन करूंगा। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खान (उत्तर प्रदेश): वाइस चेयरपर्सन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय बिल, 1995 पर बोलने का वक्त देने के लिए मैं आपको

आभारी हूं, आपको शुक्रगुजार हूं। यह अजीब इतिहास है कि कल ही मौलाना आजाद उर्दू युनिवर्सिटी बिल पेश हुआ है और आज महात्मा गांधी जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय बिल पास होने की मंजिल में है। यह बड़ा अच्छा कदम है। इसका खैर मकदम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। ऐसे राज्यों के सदस्यों ने, जहां हिन्दी बोलना कभी पाप समझा जाता था और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब कभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का डेलीगेशन दूसरी स्टेटों में गया और हम सदस्यों ने अगर रास्ता भी पूछना चाहा तो यह जानते हुए कि हम रास्ता बता सकते हैं, हमारी भाषा समझने के बावजूद, मेजबानों ने हम भटके हुए राहियों को रास्ता बताने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन यह बड़ी सेहतमंद अलामत है कि किसी जुबान को जिंदा रखने के लिए उसको आगे की जिंदगी की जमानत मिले, ऐसा माहोल इस सदन में आज मिला है। जुबानों से तास्सुब रखने वाले लोग न अच्छे शहरी हो सकते हैं और न अच्छे इंसान हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने हिन्दुस्तान की जुबानों से तास्सुब रखा और कुछ जुबानों को विदेशी जुबान कहा। लेकिन जुबानों की खूबी यह है कि उसको कोई भी मुंह अपनाए उसके अंदर अपनी मिठास होनी चाहिए ताकि जब वह किसी की जुबान पर चढ़े तो उसकी जुबान कड़वी न हो जाए। ऐसी कई जुबानें हैं जिनका यहां पर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो बिल मौलाना आजाद उर्दू युनिवर्सिटी के नाम से पेश हुआ तो उर्दू के लिए यह कहा गया कि इसमें अरबी-फारसी के 90 परसेंट अक्षर हैं। यह बात सच्चाई से परे है, बिल्कुल गलत है। ऐसा उन लोगों ने कहा जिनको अरबी की ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा यह इसलिए कि अरबी कुरान की जुबान है। अरबी का ज्ञान उसी को हो सकता है जो कुरान मानता हो। लेकिन यह ऐसे व्यक्ति ने कहा है कि जिनके नाम के दोनों शब्द फारसी के हैं। अपने नाम को बदल न सके और जमाने पर पत्थर फेंकने लगे। तो जुबानों को तास्सुब करने वाले लोग अच्छाई के गुस्ते पर नहीं हो सकते। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद मुसलमान हूं। मेरी लगभग सारी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में हुई लेकिन बी०ए० में मैं हिन्दी लिटरेचर का छात्र रहा हूं। जुबान सीखने में उस वक्त तास्सुब नहीं था। जिनके नाम से कल यहां बिल बेश हुआ मौलाना आजाद, तो हिन्दुस्तान में ऐसे चंद मुसलमान मजलूम होंगे जिनमें आजाद का नाम शामिल है। यह इसलिए कि वे हिन्दुस्तान को एक देखना चाहते थे। तकसीम हिन्दुस्तान का तसच्चुर उनकी जहन में नहीं था। वो हिन्दु-मुस्लिम बंटवारा नहीं चाहते थे। यही वजह

थी कि मौलाना आजाद जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर वहाँ के छात्रों ने उनके गले में जूतों का हार डाला।

4.00 पं० पं०

लेकिन मौलाना ने अलीगढ़ के छात्रों से उसका बदला नहीं लिया था बल्कि वहाँ के लड़कों से यह पूछा था कि क्या तुम बता सकते हो जिस पाकिस्तान के बनाने के लिए तुमने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए उसके गले में जूतों का हार डाला, उसकी अपनी ज़बान क्या है? वह छात्र उसका जवाब नहीं दे सके। इसलिए ज़बान का तासुब इस बुनियाद पर कि उसका किसी मज़हब से ताल्लुक हो, किसी सूबे या किसी ज़मीन से ताल्लुक हो नहीं किया जा सकता और मैं हिन्दी की वकालत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हिन्दी यहाँ की राष्ट्रभाषा है या जिस प्रदेश से मैं आता हूँ उसकी राज्य भाषा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हिन्दी एक अच्छी ज़बान है, इसे पनपना चाहिये, इसे फलना-फूलना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आखिर इस बात की क्यों ज़रूरत पेश आई कि कल या परसों दोनों सदनों ने एक उर्दू के नाम पर यूनीवर्सिटी कायम की है और दूसरी हिन्दी के नाम पर। हमें क्यों इस बात का डर हुआ कि अगर हम उर्दू यूनीवर्सिटी बनाने का बिल पास कर देंगे तो हिन्दी वाले नाराज़ हो जाएंगे और अगर हिन्दी का बिल पास कर देंगे तो उर्दू वाले नाराज़ हो जाएंगे? ठीक उस तरह जिस तरह अंग्रेजी ने हिन्दुस्तान में तालीम देते वक्त बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी बनाई और फिर उसका क़ज़न बराबर करने के लिए दूसरे पलड़े में अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी को रख दिया (व्यवधान)

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई।

श्री मोहम्मद आज़म खान: अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई लेकिन अंग्रेजी के ज़माने में बनी।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: वह बात अलग है।

श्री मोहम्मद आज़म खान: अंग्रेज़ों के ज़माने में बनीं और कुछ तारीखी सच्चाइयों से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बनीं, उनको बनाने वालों की मेहनत से बनीं लेकिन अंग्रेजी के कुछ तरीके थे अपना राज करने के लिए। इसीलिए बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी बनी और इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी बनी और इसीलिए दोनों के मखसूस नाम भी रखे गये। बाद में वह खत्म भी नहीं हो सके और बदले भी नहीं जा सके और शायद उनको बदलने की ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे यह

कुछ अजीब सा लगा कि दोनों यूनीवर्सिटीज़ एक दो दिन के फासले में खास तौर से दोनों को बनाने का काम हुआ है मेरी इसमें गुज़ारिश आपने यह रहेगा कि हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय यूनीवर्सिटी जो महात्मा गांधी के नाम से बन रही है खुद हिन्दुस्तान में हिन्दी का इस्तेमाल होगा है लेकिन अक्सर पेशानी पेश आती है। अभी मैं गूल्ज़ एन्ड प्रोसीज़र की किताब लेने गया था। कल मुझे अंग्रेजी की किताब मिली थी और आज मैं हिन्दी की किताब लेने गया। मुझ से कहा गया कि हिन्दी की किताब बहुत दिनों से नहीं है, छपने गई है, छप कर आएगी तब मिलेगी। वहाँ पर एक कमेंट यह भी सुनने को मिला कि अंग्रेजी की किताब से आपको ज्यादा अच्छी मदद मिलेगी, इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, हिन्दी ट्रांसलेशन इतना सख्त है कि आपको अलग से डिक्शनरी ले कर बैठना पड़ेगा। अगर हम हिन्दी को इतना संस्कृताइज़ कर देंगे, सख्त कर देंगे कि हिन्दी को बढ़ने के लिए हिन्दी की डिक्शनरी की ज़रूरत होगी तो इससे हिन्दी का विकास नहीं होगा। इससे हिन्दी का नुक़सान होगा। इसलिए इस यूनीवर्सिटी को बनाने के लिए इसके जितने भी हमारे यूनीवर्सिटी के फारमेशन होते हैं चांसलर, वाइस-चांसलर, एकेडेमिक कौंसिल और उसके प्रिन्सिपल वगैरह वगैरह, लगता यह है कि सारी यूनीवर्सिटीज़ का चरबा तो एक है वह सिर्फ नाम बदल देते हैं, तारीख बदल देते हैं बाकी सारी यूनीवर्सिटीज़ का फंक्शन एक ही तरीके से होगा। इसी सदन में यह शुबहा भी ज़ाहिर किया गया, अभी मैं शास्त्री जी को सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा, आपने खदशा यह ज़ाहिर किया है कि इसमें कहीं ऐसा न हो कि नाम तो इसका हिन्दी यूनीवर्सिटी हो लेकिन सारा काम अंग्रेजी में हो। चूँकि यह अन्तर्राष्ट्रीय यूनीवर्सिटी है लिहाज़ा इसको कुछ न कुछ काम उन देशों में होगा ही जिन देशों में इस ज़ुबान को ले जाने की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी इस यूनीवर्सिटी में कोई ऐसा रिसर्च सेंटर हो जिसमें हम हिन्दी की मिठास में कुछ ऐसी ज़बान की मिठास भी ला सकें, अगर सदन को बुरा न लगे तो हम फारसी की सी मिठास ला सकें अगर ऐसी मिठास हम हिन्दी में पैदा कर सकें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत होगी। मैं आपका आभारी हूँ कि वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हिन्दी और उर्दू का तासुब भी खत्म हो और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने हिन्दी और उर्दू को बड़ी और छोटी बहन इटोहयूस करवाया गया है और पहली बार उर्दू के नाम से लोगों को रोज़ी-रोटी से जोड़ा है, बोम्बई साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मैं कल हाज़िर

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I understand what you are suggesting. (*Interruptions*)... I am prepared, if the House is prepared. (*Interruptions*)... I think the Minister wants to give a very detailed reply. (*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We should agree. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): That is why he needs some time. (*Interruptions*)... If the House agrees, well and good. (*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, all the Members are in support of the Bill. Nobody suggested any serious amendments also. We have already lost three days. If the Treasury Benches do not want to pass the Bill today, we are helpless. (*Interruptions*)... Of course, we are ready to sit. (*Interruptions*)... Why can't we pass it today? (*Interruptions*)... Why can't we do it today? (*Interruptions*)... You have already studied the Bill. (*Interruptions*)...

SHRI S.R. BOMMAI: No. I want to reply in detail. (*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: How can you pilot the Bill without studying it? (*Interruptions*)... How can you pilot the Bill without studying it? (*Interruptions*)...

SHRI S.R. BOMMAI: I am frank enough to admit (*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: What is the criticism? (*Interruptions*)... There is no criticism at all. (*Interruptions*)...

SHRI S.R. BOMMAI: Please listen to me. I want to reply in Hindi. I am not prepared for it. Everybody has spoken in Hindi. I want to explain my difficulty. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Ravi, we should say 'okay'. (*Interruptions*)... If you want me to reply in English, I am prepared to do it today itself. (*Interruptions*)...

श्री वी० नारायणसायी: मंत्री जी को मालूम है कि यह हिंदी को प्रमोट करने के लिए बिल आया है।

SHRI S.R. BOMMAI: I want to reply in Hindi. I am not prepared. (*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, while speaking you permitted the Members to speak in English. Even while piloting the Bill you have permitted the Minister to start in Hindi and to conclude in English. Now while replying also he can do so. (*Interruptions*)...

SHRI S.R. BOMMAI: Then let it be taken up today itself. I will speak in English. (*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If the hon. Minister wants a little more time, as we always did in the past, why don't we give him some time today? (*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: He has made the Minister. (*Interruptions*)...

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, I am prepared. ...(*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If he wants to reply on Mondy. ...(*Interruptions*)

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, if the House decides that it should be taken up today, I am prepared to do so.

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): If the Minister wants to speak in Hindi, he should be given time. (*Interruptions*). None of the DMK Ministers speaks in Hindi. At least, he wants to speak in Hindi.

श्री विष्णु दत्त शास्त्री: उनके हिन्दी में बोलने के लिए सोमवार तक के लिए अवश्य समय दिया जाए।
... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैं, मंत्री जी हिन्दी में बोलना चाहते हैं और हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की अब बात चल रही है तो एक दिन में, दो दिन में क्या हो जाने वाला है? मंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मंत्री जी दक्षिण भारत के होने के बावजूद भी हिन्दी में बोलने के लिए तैयार होना चाहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी को

नहीं हो सका था, मैं कल कहना चाहता था उर्दू यूनीवर्सिटी बन जाएगी लेकिन उर्दू यूनीवर्सिटी बनने के बाद जब तक किसी ज़बान को रोज़ी-रोटी से नहीं जोड़ा जाता तब तक उस ज़बान की तरक्की नहीं हो सकती। अगर किसी चीज़ को पढ़ने वाला उसके नाम पर रोज़ी हासिल नहीं कर सकता तो वह टेकनोलोजी खत्म हो जाएगी और तालीम और इल्म खत्म हो जाएगा। उर्दू हम पढ़ाए खूब अच्छी तरह से लेकिन अगर उर्दू को फलने-फूलने का मौका न मिले, उर्दू के नाम पर लोगों को रोज़ी-रोटी से नहीं जोड़ा जा सके और इसी तरह से अगर हिन्दी सीखने वालों को हिन्दी के स्कालर्ज़ को उसका सही मकाम न मिल सके और उनकी जिन्दगी रोज़ी-रोटी से न जुड़ सके तो हिन्दी तरक्की नहीं कर पाएगी। इसी के साथ आप सभी का और मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्दे): खान साहब, आप बहुत अच्छा बोले हिन्दी में। मैं सिर्फ़ सदन से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो लिस्ट है उसमें सिर्फ़ श्री ओ०पी० कोहली जी बोलने वाले हैं और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आज हम लोग अगर यह जो बिल है इसमें जिन जिन को अपने विचारों को रखना था वे तो सारे बोल चुके हैं एक्सेए कोहली जी, उनको भी बुलना लिया जाएगा, उसके बाद मंत्री जी को भी अपना उत्तर देने का मौका दिया जाए और उस उत्तर के बाद हम इस बिल को सोमवार तक पास करने के लिए अगर समय दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसके बाद जो मंत्री जी बैठे हैं उनको भी यहाँ पर बयान करना है। इसके लिए मुझे लगता है अगर आप सब एग्नी हों, एग्नी हों तो इस मुताबिक करें... (व्यवधान)

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): I will reply on Monday.

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): इसमें सोमवार तक जाने की उपसभाध्यक्ष महोदया क्या आवश्यकता है। कोहली जी बोल लें 5-10 मिनट, मंत्री जी बोल लें 5-10 मिनट, उनका उत्तर हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, कोई विवाद है नहीं और जब कोई विवाद नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इसको पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप नहीं चाहते हैं आज उत्तर देना, तैयार न हों तो बात दूसरी है। अगर सोमवार तक इसको स्थगित कराना चाहती है सरकार तो ... (व्यवधान) दूसरी बात है...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (WEST BENGAL): Madam, may I suggest one thing? It is suggested that at 4

o'clock the statement will be made. It is not going to be a long-drawn statement. It is a short statement and our clarifications will also be short. ... (Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the Supreme Court is also involved in this. ... (Interruptions)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : After the clarifications on the statement are over, let the hon. Minister speak. (Interruptions)... We will finish it today, Why do you leave it for Monday? ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I will leave it to the House. Whatever you deem proper, I will do it. (Interruptions)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We will go on it today itself. ... (Interruptions)...

श्री सतीश अग्रवाल: इस विधेयक को आज ही पारित करना चाहिए ... (व्यवधान)... दूसरा कोई एजेंडा हमारे पास नहीं है... (Interruptions)...

SHRI S.R. BOMMAI: I make this request because I want to reply in detail. (Interruptions)... I want to reply in detail. (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Minister wants some time. (Interruptions)...

श्री सतीश अग्रवाल: मंत्री जी तैयार नहीं हैं। वे समय चाहते हैं ... (व्यवधान) क्या उनको कोई व्यक्तिगत कठिनाई है ... (व्यवधान)

श्री एच० हनुमन्तप्पा: बिल आया है, तैयार नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं ... (व्यवधान) वे तैयार नहीं हैं? यह क्या तरीका है ... (व्यवधान)

श्री वी० नारायणसामी: आप रिप्लाय करने के लिए तैयार हैं तो आप भी शुरू करें ... (व्यवधान)

SHRI S.R. BOMMAI: I would like to reply in detail. I am not prepared. (Interruptions)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, what I am suggesting is ... (Interruptions)...

पूरा समय दे दिया जाए। ... (व्यवधान) इनको तैयार होने दिया जाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मित्र नारायणसामी जी भी आज से हिन्दी में ही बोलेंगे ... (व्यवधान) लगता है कि ऐसी प्रतिज्ञा इन्होंने की है। ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बैठिए मि० यादव। ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, अगर तीन दिन में हिन्दी सीखी जा सकती है तो तीन दिन समय देने में क्या फर्क पड़ता है। ... (व्यवधान)

[[شری محمد مسعود خان: میڈم! تین دن میں صفوی مباحثات سیکھی جاسکتی ہے تو تین دن کے دینے میں کیا فرق پڑتا ہے۔۔۔ محمد اخلت۔۔۔]]

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यहाँ सीखने और सिखाने का सवाल नहीं है। मंत्री जी खुद ही हिन्दी जानते हैं, लेकिन उनको कुछ समय की जरूरत है। अगर सदन मुझे कहता है कि ठीक है, उनको समय दिया जाए तो वेल एंड गुड, अगर सदन कहता है कि नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है। ... (व्यवधान) ओ० पी० कोहली ... (व्यवधान) कोहली जी को बोलने दीजिए, उसको बाद मंत्री जी का स्टेटमेंट हम लेते हैं।

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने का समय दिया है। अब क्योंकि माननीय मंत्री जी आज इस बहस का उत्तर न दे कर बाद में देने वाले हैं इसलिए मैं उनके सामने इस विश्वविद्यालय की स्थापना से जो एक्सपैक्टेडेंस और अपेक्षाएँ हैं वे रखना चाहता हूँ ताकि वह इस बिल को संवारते समय इन अपेक्षाओं को ध्यान में रख सके। एक तो यह अपेक्षा है कि यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय हिन्दी की शिक्षा देने वाले अन्य 223 विश्वविद्यालयों जैसा बन कर न रह जाए बल्कि इस विश्वविद्यालय का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व बने, इसकी अपनी एक पहचान बने, यह विश्वविद्यालय हिन्दी के लिए देश में और विदेश में अनुराग पैदा करने का एक शक्तिशाली साधन बने। इसलिए जो सुझाव श्रीमान् विष्णु कन्नन शास्त्री जी ने और

हनुमन्तप्पा जी ने दिया जिसका समर्थन औरों ने भी किया मैं समझता हूँ कि वह बहुत सही सुझाव है और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के भीतर का वायुमंडल भी हिन्दी में होना चाहिए। इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रशासन, इसका कामकाज और इसका व्यवहार हिन्दी में संचालित होना चाहिए। महोदया, हिन्दी अभी तक उच्चतम स्तर पर शिक्षा का माध्यम बहुत से विषयों में नहीं बनी है और कहा जाता है कि हिन्दी की फंक्शनल कैपेसिटी या प्रक्रियात्मक क्षमता कम है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह हिन्दी की फंक्शनल क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा और वैज्ञानिक और टैक्नोलोजिकल विषयों में हिन्दी सर्वोच्च स्तर पर माध्यम बन सके, इसके लिए हिन्दी को और शक्ति प्रदान करने का काम करेगा। महोदया, सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में एक मूलभूत समानता है उस मूलभूत समानता को हम भारतीयता कह सकते हैं। यह विश्वविद्यालय सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करके उस मूलभूत एकता को, भारतीयता को रेखांकित करे, उजागर करे, ऐसी भी इससे अपेक्षा की जाती है। हिन्दी के बारे में और भारतीय भाषाओं के बारे में भी जैसा स्वाभिमान और गौरव का भाव देश में चाहिए उसमें अभी कमी दिखाई पड़ती है। कभी-कभी हीनता की मानसिकता दिखायी पड़ती है। उस मानसिकता को दूर करके हिन्दी के बारे में और भारतीय भाषाओं के बारे में स्वाभिमान और गौरव का भाव जगाने का काम भी यह विश्वविद्यालय करे। मैडम, इस से और भी अपेक्षा है। इस से यह भी अपेक्षा है कि देश और विदेश के हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी के विद्वानों तथा हिन्दी के सेवकों को हिन्दी भाषा और साहित्य के संवर्धन में जुटाए। उन की सेवाओं का उपयोग करे, उन का सम्मान करे। देश और विदेश में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगे हुई अनेक संस्थाएँ और संगठन हैं, उन के प्रयासों और गतिविधियों से यह विश्वविद्यालय अपने को जोड़े, अपने को समन्वित करे। यह विश्वविद्यालय हिन्दी के विषय में जानकारीयों और सूचनाओं के आदान-प्रदान का और हिन्दी के व्यवहार और प्रयोग का शक्तिशाली माध्यम बने।

महोदया, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वह इस विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों जैसा एक विश्वविद्यालय न बना रहने दें। इस के प्रति विशिष्ट पहचान बनाएँ जिससे कि यह विश्वविद्यालय हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के

रूप में और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में और न्यायोचित स्थान दिलवाने में एक शक्तिशाली माध्यम का काम कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Madam Vice-Chairperson, the hon. Minister is making a statement on a issue which concerns four Ministries—the Ministry of Labour, the ministry of Industry, the Ministry of Environment and the Ministry of Law. I am afraid, whether the Minister of Welfare will be able to reply to the questions that will arise out of this statement. Therefore, I feel it is not in order. The concerned Minister should come and make the statement. I do not know from which date, the Ministry of Labour and the Ministry of Industry entered the Ministry of Welfare. It is a very important issue. The entire work force in Delhi is involved.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam Vice-Chairperson, I agree with the hon. Member. This issue concerns various Ministries. I would like to know from when Shri Ramoowalia has taken over as Labour Minister. The Ministry of Industry, the Ministry of Labour, the Ministry of Environment and the Ministry of Law are all involved.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Let him make the statement.

SHRI JIBON ROY: In what capacity is he going to make the statement?

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): We are all exercised over this issue. We all know that so many Ministries are involved. Now Shri Ramoowalia will be making the statement. Will he be able to answer the questions arising out of the statement?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Let the Minister reply.

STATEMENT BY MINISTER

Closure of industries in Delhi as a result of directions of the Supreme Court

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): In the wake of directions of the Hon'ble Supreme Court in the Inter-lodatory Application No. 22 in Writ Petition (C) No. 4677 of 1985, 168 industries listed as hazardous/noxious/heavy/large industries are to be closed down on the mid night of 30th November, 1996. Subsequently by another order, the Hon'ble Supreme Court has directed a further 513 units to be closed w.e.f. 31.1.1997. In the order dated 8.7.96 the National Capital Regional Planning Board has been directed to render all assistance to the industries for the purpose of relocation outside Delhi. The Hon'ble Supreme Court has also given certain directions regarding the amount of compensation to be paid to the affected workmen. The Hon'ble Supreme Court has also given directions that the workmen employed in the industries which fail to relocate and the workmen who are not willing to shift alongwith the re-located industries shall be deemed to have been retrenched with effect from 30th November, 1996 provided they have been in continuous service for not less than one year in the industries concerned before the said date. Besides the compensation payable under Section 25 F(b) of the Industrial Disputes Act, such workmen will also be given one year's wages as additional compensation.

2. According to the information received from the Government of NCT of Delhi the industries have so far not shown any inclination for re-location. The trade unions have also expressed apprehension that the industries are more interested in selling part of the land and utilise the money so received for pur-